राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 51/2020 प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्तीकरण

अम्बालाल पुत्र पन्नालाल कुमावत, निवासी–दरीबा, हाल कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा

बनाम 1. राजस्थान जरिये तहसीलदार भीलवाडा
2. सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

–विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–144 जाब्ता दीवानी बाबत् राजस्व मण्डल के प्रकरण संख्या 4075/5 अजमेर के निर्णय दिनांक 26.11.2010 की अनुपालना में राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की स्थिति की प्रत्याथापना करवाये जाने बाबत्

उपस्थित – 1. नवरतनमल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. राजकीय पेरोकार– विपक्षी 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 01/05/2026

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व ग्राम पांसल तहसील व जिला–भीलवाड़ा में तत्कालीन खातेदार मनमथ सिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी पांसल से 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता पन्नालाल पिता भैरु जी कुमावत ने क्रय कर अपने अधिकार आधिपतय में प्राप्त की जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन खातेदार मनमथ सिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी–पांसल ने सेटलमेन्ट के दौरान भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व मय बेचान नामे पेश किये जिसकी पत्रावली मिसल संख्या 10/1974 हैं जिसमें तत्कालीन खातेदार द्वारा निवेदन किया गया कि उसके द्वारा अपनी खातेदारी की जमीन को फर्दन–फर्दन व्यक्तियों को बेचा हैं जो उसके खातेदारी की जमीन में से कम की जाकर सीलिंग कार्यवाही से उक्त बेचानशुदा जमीनों को खाते से कम की जाकर शेष जमीन अपने नाम पर रखाने का प्रस्तुत किया। पत्रावली मिशल संख्या 10/74 की प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। मनमथ सिंह पिता तेज सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सेटलमेन्ट ऑफिसर द्वारा खसरा संख्या 3170 पर तत्कालीन खातेदार के इन्द्राज का खारीज करते हुए प्रार्थी के पिता पन्नालाल पिता भैरु कुमावत के नाम अंकित किये जाने का आदेश देते हुए मिसल को फैसल कर दिया तब से ही उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम पर दर्ज चली आकर बहैसियत मालिकाना हक से काबिज होकर उपयोग उपभोग में ले रहे थे एवं उनके उपरान्त उक्त भूमि पर प्रार्थी बहैसियत मालिकाना हक से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मनमथ सिंह पिता तेज सिंह राजपूत सीलिंग कार्यवाही चली जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाडा के यहां प्रकरण 134/81 निर्णय दिनांक 30.12.1983 को हुआ जिसमें इस भूमि को भी सरप्लस मानते हुए उक्त निर्णय दिनांक 30.12.1983 की पालना में नामान्तरण संख्या 1129/2404 के जरिये उक्त भूमि को बिलानाम अंकित कर दिया। बिलानाम से उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर दी गई। उक्त निर्णय दिनांक 30.12.1983 के विरुद्ध राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत हुई जिसके प्रकरण संख्या 11/84 निर्णय दिनांक 11.06.1987 हुआ जिसमें दिनांक 30.12.1983 के निर्णय को यथावत रखा तथा मनमथ सिंह पिता तेज सिंह राजपूत के उपरान्त विक्रमादित्य बतौर पक्षकार संयोजित हुआ तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पीटिशन पेश हुई जिसके प्रकरण संख्या 40/88 निर्णय दिनांक 23/05/2005 से राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 11.06.1987 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया गया जिससे राजस्व मण्डल में प्रकरण पुनः दर्ज हुआ जिसके प्रकरण संख्या 4975/05 जिसका निर्णय दिनांक 26.11.2010

5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किया गया और प्रार्थी के पिता व अन्य व्यक्तियों को किये गये विक्रय–पत्रों को मान्यता प्रदान की जाकर श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा को निरस्त कर दिया व तत्कालीन खातेदार के विरुद्ध चली सीलिंग कार्यवाही को समाप्त कर दी। उक्त निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील या कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं हैं। चूँकि श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा का निर्णय निरस्त हो चुका हैं। उनकी पालना में पूर्व जो नामान्तरण संख्या 1129/2404 किया गया जिससे भूमि बिलानाम हुई। इसलिए उक्त भूमि में प्रार्थी की राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की स्थिति कायम करवा उक्त भूमि को प्रार्थी के खातेदारी अधिकार के रुप में दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थना–पत्र राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की स्थिति रखाये जाने हेतु धारा–144 जाब्ता दीवानी का हैं जो कि पूर्व की स्थिति की प्रत्यास्थापना हेतु है। अतः यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं। निवेदन हैं प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम पांसल की सरहद में स्थित आराजी संख्या 3170 रकबा 1 बिघा 06 बिस्वा भूमि स्थित भूमि को नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम से हटाया जाकर मुझ प्रार्थी के नाम पर खातेदारी में दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 का जवाब प्राप्त हुआ। विपक्षी 1 का भी जवाब प्राप्त हुआ।

जवाब जरिए विपक्षी संख्या 02 नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की ओर से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. का जवाब निम्न प्रकार है कि वर्णित तथ्यों को प्रार्थीगण रेकॉर्ड से साबित करें। विवादग्रस्त भूमि आराजी नं. 3170 रकबा 01 बीघा, 06 बिस्वा, भूमि ग्राम पांसल में स्थित है। जो कि वर्तमान में विपक्षी संख्या 02 नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज है, जो कि आबादी विस्तार हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा द्वारा आरक्षित करने का आदेश प्रदान किया गया जिससे नगर विकास न्यास के नाम विधिवत दर्ज हुई है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने लायक है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 02 नगर विकास न्यास भीलवाड़ा का जवाब रेकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

जवाब जरिए विपक्षी संख्या 01 तहसीलदार भीलवाड़ा की ओर से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. का जवाब निम्न प्रकार है कि वर्णित तथ्यों को प्रार्थीगण रेकॉर्ड से साबित करें। विवादग्रस्त भूमि आराजी नं. 3170 रकबा 01 बीघा, 06 बिस्वा, भूमि ग्राम पांसल में स्थित है। जो कि वर्तमान में विपक्षी संख्या 02 नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज है, जो कि आबादी विस्तार हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा द्वारा आरक्षित करने का आदेश प्रदान किया गया जिससे नगर विकास न्यास के नाम विधिवत दर्ज हुई है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने लायक है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 02 नगर विकास न्यास भीलवाड़ा का जवाब रेकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत भूमि नगर विकास न्यास,भीलवाडा के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। धारा–144 प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं ठहरती है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 उक्तानुसार आधारहीन, सारहीन व पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास व तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित किया जाए।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा